प्रेस नोट   दिनांक 06.12.2025

सार्वजनिक स्थान व सड़क किनारे शराब पीकर उदण्डता करने वाले सोहदों एव असामजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.12.2025 को थाना सरायलखन्सी अन्तर्गत क्षेत्र से कुल 17 सोहदों/ असामाजिक तत्वों को शराब पीकर सार्वजनिक स्थान एवं सड़कों पर आम जनमानस के साथ उदण्डता एवं अभद्रता करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार धारा 355 बीएनएस के तहत तथा **थाना मधुबन पुलिस द्वारा** सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 11 व्यक्तियों को पकड़कर थाना स्थानीय पर लाकर धारा 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गई।

03 वारंटी अभियुक्त गिऱफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 06.12.2025 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण धर्मेन्द्र पुत्र रमाकान्त, रामनयन पुत्र सूरज निवासीगण पीपरसाथ थाना हलधरपुर, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुरेन्द्र पुरत्र छांगुर राम निवासी खण्डेरायपुर थाना थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

एक नफर अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार व कब्जे से 5.412 किग्रा0 नाजाजय गांजा व 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्वेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 06.12.2025 को थानाध्यक्ष दक्षिण टोला मय हमराह के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मतलूपुर मोड़ पर अपराध तथा अपराधियो के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसी समय मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया की रामपुर चकिया सर्विस रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध वस्तु लिए

खड़ा है, मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास कर मौजूद पुलिस बल को साथ में लेकर मतलूपुर मोड़ फ्लाई ओवर से रामपुर चकिया फ्लाइ ओवर के पास आये, जहां पर मुखबिर खास ने एक सफेद झोला लिए खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया की वही जो व्यक्ति खड़ा है, वही है, मुखबिर खास हट बढ गया तथा पुलिस टीम को अलग अलग दिशा से आने के लिए बताकर खड़े व्यक्ति के पास पहूंचकर तो खड़ा व्यक्ति गाजीपुर की तरफ जाने लगा लेकिन आगे से भी घिरा देखकर दुसरी दिशा में जाने के लिए मुड़ा की पुलिस बल द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम लालू यादव उर्फ गोलू पुत्र सूर्यबली यादव निवासी जमीन कपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा हाथ मे लिये झोले के बारे में पूछा गया तो उसमें गांजा होना बताया, जिसकी सूचना पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय भी मौके पर आ गये, जिनके द्वारा पूछताछ किया गया तथा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 5.412 किग्रा नाजायज गांजा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अन्य अपराधियो से सांठ गांठ होना बता रहा है, जिसके सम्बन्ध में जांच प्रचलित है. तथा बताया कि यह गांजा व पैसे के लिए गाजीपुर बेचने को जा रहा था, जो भी ग्राहक मिल जाता, जिसके। पकड़े गये अभियुक्त के उपर जनपद आजमगढ़ व मऊ में कुल 17 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त को समय 11.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण........

1. लालू यादव उर्फ गोलू पुत्र सूर्यबली यादव निवासी जमीन कपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी....

1. नाजायज गांजा 5.412 किग्रा0

2.तीन अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

पंजीकृत अभियोग....

1.मु0अ0सं0 250/2025 धारा 8/20 NDPS ACT व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम.....

1.श्री अँजनी कुमार पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मऊ

2.उ0नि0 बसन्त लाल थानाध्यक्ष थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

3.उ0नि0 किशन कुमार शुक्ला थाना दक्षिण टोला जनगर
5.हे0का0 शहजाद जमां खान थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
6.हे0का0 इमरोजा खान थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
7.का0 अमरनाथ मौर्य थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
8.का0 अरविन्द सोनकर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
9.का0 अंकित यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
10.का0 मुलायम यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पकड़े गये अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 448/2020 धारा 307/394/397/411/120B भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
2.मु0अ0सं0 521/2020 धारा 307/419/420/467/468/471/120B भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
3.मु0अ0सं0 830/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ
4.मु0अ0सं0 350/2021 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
5.मु0अ0सं0 398/2021 धारा 395/412/342/120B भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
6.मु0अ0सं0 421/2021 धारा 302/34 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
7.मु0अ0सं0 21/2020 धारा 302 भादवि थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
8.मु0अ0सं0 719/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
9.मु0अ0सं0 352/2021 धारा 307 भादवि थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
10.मु0अ0सं0 18/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
11. मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394/411/120B भादवि थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
12.मु0अ0सं0 610/2022 धारा 307 भादवि थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
13.मु0अ0सं0 76/2023 धारा 307/411/413/414/420 भादवि थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
14.मु0अ0सं0 78/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
15.मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
16.मु0अ0सं0 184/2023 धारा 395/412/216-A/120B थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
17.मु0अ0सं0 357/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

18.मु0अ0सं0 250/2025 धारा 8/20 NDPS ACT व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

सार्वजनिक मार्ग पर शराब पीकर Kia Sonnet Car की छत पर बैठ कर स्टंट करते महिलाओं व स्कूल जाने वाली बच्चियों कोअश्लील फब्तियां कसने 02 युवक गिरफ्तार-

श्री इलामारन जी पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। मिशन शक्ति 5.0 में उपद्रवियों, अराजक तत्वों और मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया है। जनपद में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवम् यातायात माह के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं वाहन चेकिंग का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय द्वारा टीम तैयार की गयी। प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर मऊ के पुलिस बल व निरीक्षक यातायात श्याम शंकर पाण्डेय के साथ जनपद में भीटी चौराहे पर मौजूद थे तभी समय लगभग 10.00 बजे एक कार किया कम्पनी की बिना नम्बर प्लेट के जिसकी छत पर बैठकर एक व्यक्ति स्टंट करते हुए व सीटी बजाते हुए रास्तों में आने जाने वाली महिलाओं व स्कूली बच्चों पर फब्तियां कस रहे थे जिन्हें शराब भट्ठी भीटी के पास रोककर चालक व छत पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम मो0 आदाब पुत्र शमसाद निवासी फरियां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष व दूसरा व्यक्ति जो छत पर बैठकर स्टन्ट कर रहा था अपना नाम महेन्द्र कुमार भारती पुत्र नरायन भारती निवासी हनुमान नगर भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 48 वर्ष बताया। गाड़ी के आगे पीछे नम्बर न लगा होने से चेचिस नम्बर MZBFB12LRN476325 के E चालान ऐप से चेक किया गया तो पंजीकृत वाहन संख्या UP54BB7737 है । चालक नशे की हालत में लग रहा था जिसे ब्रेथनलाइजर से चेक किया गया तो 183 MG नशे में पाया गया। चालक द्वारा नशे की हालत में सार्वजनिक मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना व कार की छत पर बैठाकर स्टंटबाजी कराना जिससे स्वयं व मार्ग में चलने

वालों का मानव जीवन का खतरा व गम्भीर चोट आ सकती थी, स्टंटबाजी में प्रयुक्त कार को मौके पर ही पुलिस कब्जे में लेकर नियमानुसार यातायात नियम के उल्लंघन में प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही थी, चालक व छत पर बैठ कर स्टन्टबाजी कर रहे तथा सीटी बजाकर महिलाओं व स्कूल के बच्चों पर फब्तियां कसने वाले दोनों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. मो0 आदाब पुत्र शमसाद निवासी फरियां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष
2. महेन्द्र कुमार भारती पुत्र नरायन भारती निवासी हनुमान नगर भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 48 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. निरीक्षक श्याम शंकर पाण्डेय यातायात शाखा जनपद मऊ
3. उ0नि0 सरफराज अहमद थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. हे0का0 परमेश्वर यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का0 विजय यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

मिशन शक्ति अभियान के तहत 05 शोहदो किया गया गिफ्तार –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में थाना क्षेत्र के शोहदों के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मिशन शक्ति 5 के तहत एण्टीरोमियो टीम थाना घोसी द्वारा दिनांक 06.12.2025 को थाना घोसी क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल-कॉलेजों के बाहर स्टंटबाजी कर रहे स्टंटबाज सोहदों को 05 दो पहिया वाहनों के साथ हिरासत पुलिस मे लेकर सभी दो पहिया वाहनों को सीज करते हुए स्टंटबाजों सोहदों के विरुध्द निरोधात्मक कार्यवाही गयी।

गैंगेस्टर एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 06.12.2025 को जरिये मुखबिर की सूचना पर कोतवाली नगर के पीछे वाशिंग लाइन के पास से मु0अ0स0 424/25 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वाछित अभियुक्त साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद निवासी डोमेनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

अभियुक्त का विवरण –

1. साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद निवासी डोमेनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 424/25 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट।

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 संजय कुमार तिवारी प्र0 चौका संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली नगर।
2. हे0का0 संदीप कुमार थाना कोतवाली नगर।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 06.12.2025 को जरिये मुखबिर की सूचना पर मुंशीपुरा ओवर ब्रिज के नीचे मु0अ0स0 394/25 धारा 3(5), 109, 115(2), 125, 351(2), 352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त नदीम पुत्र इद्रीस निवासी मुंशीपुरा नालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. नदीम पुत्र इद्रीस निवासी मुंशीपुरा नालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 394/25 धारा 3(5), 109, 115(2), 125, 351(2), 352 बीएनएस।

गिरफ्तारकर्ता-

3. उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर।
4. का0 हरेन्द्र गुप्ता थाना कोतवाली नगर।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹7000 के अर्थदंड से हुया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 05-12-2025 को मु0अ0सं0 459/2006 धारा 380/457 भादवी थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त अनवर अहमद पुत्र अशरफ अली निवासी हट्टी मदारी थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹7000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹3000 के अर्थदंड से हुया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 05-12-2025 को मु0अ0सं0 24/2001 धारा 323/325/504 भादवी थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध निरहू पुत्र केशव निवासी बेलचौरा थाना सरायलखनसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की

सजा एवं ₹3000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

मिशन शक्ति अभियान के तहत 20 शोहदो तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 17 लोगों को किया गिफ्तार –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में थाना क्षेत्र के शोहदों के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला द्वारा मिशन शक्ति 5 के तहत एण्टीरोमियो टीम थाना दक्षिण टोला द्वारा दिनांक 06.12.2025 को थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल-कॉलेजों के बाहर हुड़दंग मचाने वाले 20 सोहदों को पुलिस हिरासत मे लेकर सोहदों के विरुध्द निरोधात्मक कार्यवाही

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान/सड़क के किनारे शराब पीने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही।